



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 444 राँची, गुरुवार, 13 आषाढ़, 1946 (श०)
4 जुलाई, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

21 जून, 2024

संख्या-5/आरोप-1-40/2018 का.- 4126-- श्री हीरक मन्ना केरकेट्टा, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-सिमडेगा), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, महुआडांड लातेहार के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-678, दिनांक 26.03.2018 के माध्यम से उप विकास आयुक्त, लातेहार के पत्रांक-519, दिनांक 16.06.2017 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध मनरेगा अन्तर्गत पंचायत दुरूप में क्रियान्वित योजना सं०-25/2009-10 बरटाड़ में तालाब निर्माण योजना में बिना कार्य कराये फर्जी तरीके से फर्जी मस्टर रॉल तैयार कर राशि की निकासी करने, इंदिरा आवास निर्माण की कुल 04 (चार) योजनाओं में बिना आवास निर्माण के ही सम्पूर्ण राशि फर्जी तरीके से निकासी करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं०-21317, दिनांक 26.05.2023 द्वारा श्री केरकेट्टा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी है ।

इसी क्रम में, श्री केरकेट्टा की पत्नी- श्रीमती ज्योति खलखो द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र की संलग्न करते हुए सूचित किया गया है कि उनके पति का निधन दिनांक 27.04.2024 को हो गया है ।

भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली के पत्र, दिनांक 20 अक्टूबर, 1999 में निम्न प्रावधान है-

"The undersigned is directed to say that this Department has been receiving references seeking clarification whether disciplinary cases initiated against the Government servant under CCS (CCA) Rules, 1965, could be closed in the event of death of the charged officer during pendency of the proceedings. After careful consideration of all the aspects, it has been decided that where a Government servant dies during the pendency of the inquiry i.e. without charges being proved against him, imposition of any of the penalties prescribed under the CCS (CCA) Rules, 1965, would not be justifiable. Therefore, disciplinary proceedings should be closed immediately on the death of the alleged Government servant."

अतः, समीक्षोपरांत उपर्युक्त प्रावधान के आलोक में श्री हीरक मन्ना केरकेट्टा, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला-सिमडेगा), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, महुआडांड, लातेहार के मृत्यु उपरांत उनके विरुद्ध गठित आरोप पत्र एवं विभागीय संकल्प सं0-21317, दिनांक 26.05.2023 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को संचिकास्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरु
सरकार के संयुक्त सचिव ।
